आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)a के तहत
आर०एम० वाद सं०–55/13–14
परीक्षित मुण्डा..विक्रेता
बनाम
मथुर चन्द्र पातर मुण्डा..क्रेता

03.12.2021

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनाहातु के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय के ज्ञापांक–662(ii)/रा० दिनांक–23.08.2021, ज्ञापांक –691(ii)/रा० दिनांक–27.08.2021, ज्ञापांक–808(ii)/रा० दिनांक–15.09.21, एवं ज्ञापांक–869(ii)/रा० दिनांक–25.09.21 के द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नोटिस की तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। नोटिस तामिला के पश्चात भी विक्रेता परीक्षित मुण्डा पिता–स्व० छुटु मुण्डा, ग्राम–जिन्तु, थाना–सोनाहातु एवं उनके अधिवक्ता द्वारा इस अनुमति वाद में किसी भी तरह की पैरवी नही की जा रही है। जिससे यह प्रतीत होता है, कि विक्रेता/क्रेता को इस अनुमति वाद में किसी भी प्रकार का कोई अभिरूचि नही है।

अतः उपरोक्त अनुमति की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
गोमेयाडीह	सोनाहातु/59	19	77	0.42 ए० मध्ये 0.20 ए०

लेखापित एंव संशोधित।

03/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)।

03/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2021.12.06 13:52:16 +05:30
Location: 10.93.79.7